R.M.M. Law College Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Teacher
Sub.-Evidence

प्रश्न-1.

विबन्ध तीन प्रकार की होती है —

(1) विबन्ध के अभिलेख द्वारा विबन्ध (2) विलेख द्वारा (3) आचरण या विबन्ध द्वारा विबन्धवस्तु है —

अभिलेख द्वारा — न्यायालय के अभिलेख से विबन्ध पैदा है। सक्षम न्यायालय की निर्णय को अन्तिम है। यदि निर्णय किसी पक्षकार के विरुद्ध दिया जाता है और उन अवसरों का उपयोग नहीं बाद में निर्णय अपील करने के लिए उसे प्रदान करती है तो उससे आबद्ध हो जाता है और भविष्य में उसकी उन निर्णय पर आक्षेप करने का या उसके प्रतिकूल प्राख्यान करने अधिकार नहीं रहता। सामान्यतः न्यायालयों के निर्णयों को प्रमाद और साक्ष्य के उनकी सुसंगता से सम्बन्धित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 से 14 तक और साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 तक इस विषय से सम्बन्धित है।

निर्णय भी दो रीति से बाटाँ जा सकता है पहले वह जो सभी संसार को आबद्ध करते है। दूसरे वे जिनसे केवल पक्षकार आबद्ध होते है। यथा कोई विशिष्ट

निर्णीत-विबन्ध का सृजन करता है

प्रश्न.2 इस मत अनुसार ये तो मानना, नहीं मानना न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है।

विलेख द्वारा विबन्ध — कानून के द्वारा प्रकार के विबन्ध को इस मत पर आधारित किया गया कि लिखित साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से उच्चतर का एवं अधिक विश्वसनीय होता है। चूंकि पक्षकारों के बीच किसी दस्तावेज का निष्पादन हुआ है तो कल्पित करता है इनका पता उनके निष्कर्षों से बिना कठिनाई के लगाया जा सकता है। अतः किसी विधिमान्य दस्तावेज के पक्षकारों और उनके हित प्रतिनिधियों को उसके बल और प्रभाव का प्रत्याख्यान करने की अनुमति नहीं थी। किन्तु आधुनिक काल में विलेख द्वारा विबन्ध को, संविदा पर ही आधारित विबन्ध को, और एक प्रकार का व्यपदेशन द्वारा विबन्ध, मानने की प्रवृत्ति हो गई।

विलेख द्वारा विबन्ध का अपने पारिभाषिक अर्थ के अतिरिक्त भारत में वस्तुतः है ही नहीं। इस देश में दस्तावेज चाहे कितना ही प्रारूपिक (Porimal) क्यों न हो।

Scanned with CamScanner

वाहक व्यक्ति को कोई संविदा करने
की अवस्था रखता है। कोई व्यपगत
~~निष्कर्ष संविदा~~
संविदा का आतंकीत करता है तो उन
परिस्थिति का निवारण अन्य स्वामी
की सामने लोकप्रवृत्त होगा।

विवाद को पैदा होने के लिये यह
आवश्यक नहीं कि व्यपदेशन कपटपूर्ण
नहीं होनी चाहिए। व्यपदेशन झूठ का
स्पष्ट ही किये जाने या करने वाले
व्यक्ति को विश्वास करता है।
व्यक्ति को विरोध व्यपदेशन इसे
इस कारण कि विरोध व्यपदेशन उसके
वाले व्यक्ति के हेतु या उसके
ज्ञात की इच्छा की ध्यान में नहीं
लेगी। विरोध केवल उस व्यक्ति के
लिये है जिसकी सहमति में लेनी है
अन्यथा की किया में लेती है
उस व्यपदेशन के फलस्वरूप कोई
कार्य करके अपनी स्थिति को
बदल लेता है।

यदि व्यपदेशन किसी दस्तावेज से
संबंधित है तो यदि दस्तावेज से
जो आदि से ही शून्य था तो
उससे विवाद का सृजन नहीं हो सकेगा।